INDIA

दो रुपये — दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

2 Rs

क्षेत्राधिकार उपनिबंधक-III

बैनामा: 2,60,000/- रुपया

मालियत: 2,60,000/- रुपया

In ... ance of the order of the Collector ... 17-87. Passed under section 10-A of the Stamp Act. It is certified that an amount of Rs. 2800/- (in words) Two thousand Eight hundred has been paid in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India, Aligarh Treasury/Sub-Treasury of .... By Chalan No. 362 dt. 16/8/95 a copy of which is annexed here with.

Govt. Treasurer / Dated — Chief Cash 16/8/95

Officer Incharge Treasury Aligarh

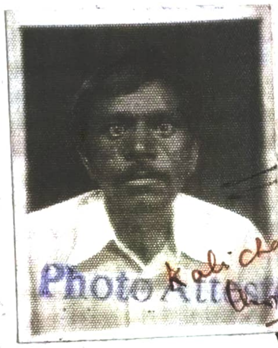

Photo Attested

S. K. GAUR
Advocate
Civil Court, Aligarh

मैं कि काली चरन पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम निवासी नौरंगाबाद शहर अलीगढ़ का हूं । जो कि एक शिकस्ता हाल मकान सीमा निम्नलिखित मय कुल अमला मलवा नीचे की भूमि जो 166•2 एक सौ छियासठ दशमलव दो वर्ग गज यानि 138•965 एक सौ अड़तीस दशमलव नौ छः पांच वर्ग मीटर है दीवारें चारों ओर स्थित मुहल्ला नौरंगाबाद शहर अलीगढ़ का मैं अकेला पूर्ण स्वामी एवं सर्वाधिकारी हूं जो मुझको अपने पिता के तरके द्वारा मिला है और वह मेरे कब्जा व दखल मालिकाना में है। उपरोक्त मकान आज की तारीख तक हर प्रकार के भार बन्धन हस्तान्तरण कुर्की व जमानत आदि से पाक व साफ है तथा उक्त मकान नजूल व किसी सरकारी संस्था की संपत्ति नहीं है उसका पूर्णतया मैं ही स्वामी हूं मेरे अलावा मेरे

नि० काली चरन

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

पिता का अन्य कोई वारिस नहीं है । उपरोक्त मकान को हस्तान्तरण आदि करने के संपूर्ण अधिकार मुझको प्राप्त हैं । इसमें कोई नियम व कोई व्यक्ति किसी भी रूप में मेरा बाधक नहीं है और मैं अपनी घरेलू आवश्यकता हेतु उचित मूल्य में उक्त मकान को दखली इकरारनामा दिनांक 19-7-1995 ई. जिसकी फोटो कॉपी पुस्तक संख्या एक के खण्ड 289 के पृष्ठ 87/96 में नंबर 2355 पर दिनांक 19-7-95 ई. को कार्यालय सब रजिस्ट्रार साहब कोल तृतीय में संलग्न हुई द्वारा श्रीमती कमल अरोरा पत्नी श्री बल्देव राज अरोरा निवासी 1/10 इन्द्र पुरी छर्रा अड्डा शहर अलीगढ़ के पक्ष में विक्रय करना तय करके उसके विक्रय करने की आज्ञा श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी महोदय नगर भूमि सीमारोपण जिला अलीगढ़ से धारा 27 के अन्तर्गत आज्ञा पत्र संख्या 1172 दिनांक 4-8-1995 ई. द्वारा प्राप्त कर ली है अब क्रेता अपने पक्ष में बैनामा रजिस्ट्री कराना चाहती है जिसमें मुझको कोई आपत्ति नहीं है अत: मैंने अपनी खुशी सही बुद्धि स्वेच्छा से उपरोक्त समस्त मकान को मय नल व बिजली मय फिटिंग व सिक्योरिटियां मय कुल अमला मलवा नीचे की भूमि दीवारें चारों ओर के अपने संपूर्ण अधिकार सहित 2,60,000/- दो लाख साठ हजार रुपये में श्रीमती कमल अरोरा धर्मपत्नी श्री बल्देव राज अरोरा निवासी 1/10 इन्द्रपुरी छर्रा अड्डा शहर अलीगढ़ के पक्ष में विक्रय कर दिया और उस पर क्रेता का कब्जा व दखल मालिकाना करवा दिया

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

R$5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

करा दिया तथा समस्त मूल्यधन मैंने क्रेता से निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त कर लिया है कुछ भी अब क्रेता से लेना शेष नहीं रहा है न आयंदा होगा। आज से मेरा व मेरे वारिसान आदि का कोई संबंध व अधिकार किसीभी रूप में विक्रय की हुई संपत्ति में शेष नहीं रहा है न आयंदा होगा । आज से विक्रय की हुई संपत्ति की क्रेता स्थाई स्वामिनी एवं सर्वाधिकारिणी हो गई जिसे क्रेता हस्तांतरण आदि करे अथवा उसका चाहे जो करे तथा क्रेता विक्रीत मकान का गृहकर नगर पालिका में क्रेता अपने नाम करा लेवे कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि किसी स्वामित्व दोषादि के कारण विक्रय की हुई संपत्ति कुल या उसका कोई भाग क्रेता के स्वत्व व अधिकार से निकल जावे या विक्रय की हुई संपत्ति पर किसी प्रकार का भारबन्धन पाया जावे और क्रेता को उसकी रक्षार्थ कोई रूपया अदा या खर्च करना पड़े तो क्रेता मूल्यधन कुल या जुज को मय हर्जा खर्चा लागत के मुझसे व मेरी समस्त संपत्ति से व मेरे वारिसान आदि से चाहे जिस तरह से बसूल कर लेवे मुझको कोई आपत्ति नहीं होगी । विक्रय की हुई संपत्ति का नगर पालिका नंबर 1/337-ए तथा क्षेत्रफल 138.965 वर्ग मीटर तथा हैसियत किराया 400/- रुपये माहवार है । विक्रीत संपत्ति में 82.61 वर्गगज भाग पटा जिसमें 3 तीन कमरे सोटों से पटे हैं तथा खुला भाग 83.61 वर्गगज है । निर्माण लगभग 50-60 वर्ष पुराना है। विक्रीत संपत्ति का विक्रय व बाजारी मूल्य 2,60,000/- रुपये ही है । इकरारनामा व इस बैनामा

नि० कालीचरन

5000Rs.

पर 37,800/- रूपये का स्टाम्प चाहिए यह स्टाम्प इस प्रकार दिया कि उक्त इकरारनामा पर 20,002/- रूपये का तथा इस बैनामा पर 15,000/- रूपये के जनरल स्टाम्प व 2800/- दो हजार आठ सौ रूपये का स्टाम्प एक्ट की धारा 10-ए के अन्तर्गत सर्टीफिकेट दिया सर्टीफिकेट का रूपया भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा अलीगढ़ में दिनांक 16-8-95 को चालान नंबर बी-62 द्वारा जमा किया है । विक्रेताव क्रेता व उक्त मकान का बंबई बम्ब काण्ड में वांछित दाऊद इब्राहीम से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है अत: यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

<u>सीमा उपरोक्त मकान जो नक्शानत्थी में लाल रंग से प्रकट है-</u>

पूरब : मकान श्री भूदेव प्रसाद आदि जो उन्होंने श्री बल्देवराज अरोरा को विक्रय कर दिया है बादहू मकान बाबू

पश्चिम: मकान श्री भूदेव प्रसाद जो उन्होंने श्री ओम प्रकाश व अशोककुमार को विक्रय कर दिया है ।

दक्षिण : मकान श्री होती लाल. ।

उत्तर : सड़क सरकारी ।

<u>पैमाइश उपरोक्त मकान</u>

पूरब: 88 फीट । पश्चिम: 88 फीट । दक्षिण: 17फुट। उत्तर:17 फीट।

O. K. Maheshwari
L. N. 29. 5. V.
Civil Court, Aligarh

आज दिनांक 21.8.95 की फोटो स्टेट श्रति पुस्तक संख्या I खंड 301 के पृष्ठ 79/92 पर क्रम संख्या 2702 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

सब रजिस्ट्रार, अलीगढ़

47A